प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी

samanyagyan.com/hindi/gk-pradhan-mantri-ujjwala-yojana

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई): (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) full information in Hindi)

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब और किसने की?

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना देश के गरीब परिवारों के लिए शुरू की गयी एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की शुरुआत 01 मई 2016 को मजदूर दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए इस योजना के तहत 8,000 करोड़ रूपये की योजना को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के स्थान पर एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। इस योजना के प्रमुख लक्ष्यों में अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढाकर वायु प्रदुषण में कमी लाना भी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुख्य बिंदु:

मुख्य बिंदु	विवरण
योजना का नाम	प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
शुभारंभ	1 मई 2016
मंत्रालय	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मुख्य उद्देश्य	गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना

लाभ	एक नया खाली एलपीजी सिलिंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर, मुफ्त DGCC पुस्तिका, एक सुरक्षा नली, मुफ्त इंस्टालेशन
अन्य उद्देश्य	महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बच्चों और महिलाओं में अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोगों में कमी लाना, भीतरी और बाहरी वायु प्रदुषण को कम करना
लक्ष्य	5 करोड़ BPL परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित करना
समय सीमा	3 साल – 2018-19 तक
कुल बजट	8000 करोड़
वित्तीय सहायता	प्रत्येक BPL परिवार को 1600 रुपये कि सहायता
पात्रता	SECC – 2011 डेटा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कैसे करें आवेदन:

इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही सरल है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कराना है। उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र एलपीजी वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। 2 पन्ने के आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जन धन/बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदक यह चयन कर सकता ही कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कौन-2 दस्तावेज आवश्यक है?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए जरुरी दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ ही जमा करानी होगी। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों (Documents) की सूची इस प्रकार है:

- पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल प्रमाणपत्र।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- एक फोटो आईडी जैसे की आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र।
- एक पासपोर्ट साइज फोटो।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- लीज करार।
- टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल।
- पासपोर्ट की प्रति।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र।

- राशन कार्ड।
- फ्लैट आवंटन/कब्ज़ा पत्र।
- आवास पंजीकरण दस्तावेज।
- एलआईसी पालिसी।
- बैंक/क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट।

उपर दिए गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में सही जानकारी पास अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र से प्राप्त कर सकते है।

उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता (योग्यता):

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को इस योजना के लिए पात्र (योग्य) होना अति आवश्यक है, जो भी आवेदक पात्र नहीं पाये गए उन्हें गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। पात्रता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

- आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी को SECC – 2011 डेटा के साथ मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात ही यह निर्णय लिया जाएगा की आवेदक योजना का पात्र है या नहीं।
- इस योजना के तहत आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
- बीपीएल परिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिला ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है, पुरुष इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से कोई भी बीपीएल कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड का होना जरूरी है।
- आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी का ठीक होना अनिवार्य है।

योजना के लिए पात्र बीपीएल परिवारों की सूची राज्य सरकार और केंद्र शाषित प्रदेशों की मदद से तैयार की जायेगी। तेल व्यापार कम्पनियां इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी ग्रामीण आवेदकों की जानकारी को SECC-2011 के डेटाबेस के साथ मैच कराएंगी और उसके बाद ही गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी।

उज्ज्वला योजना का कार्यान्वियन:

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजना का कार्यान्वियन किया जाएगा। इतिहास में पेट्रोलियम मंत्रालय की इस तरह की ये पहली योजना है जिससे करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को लाभ होगा। मूल स्तर पर योजना का कार्यान्विन तेल व्यापार कम्पनियों द्वारा किया जाएगा। यह योजना वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक 3 वर्ष के लिए चलायी जायेगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े नवीनतम अपडेट 2021 – Pradhan Mantri Ujjwala Yojana latest updates 2021

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2021-22 के बजट में बढ़ावा मिला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की प्रमुख योजना के तहत इस वर्ष के दौरान 10 मिलियन लाभार्थियों को जोड़ने की घोषणा की, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए जाते हैं।

- 31 जनवरी 2021 तक, लगभग 83 मिलियन एलपीजी(LPG) कनेक्शन योजना के तहत दिए गए हैं, जिससे सरकार को अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज को 99.5 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद मिली है। अगले वित्तीय वर्ष में, सरकार राज्यों और जेबों को प्राथमिकता देगी, विशेष रूप से देश के पूर्वी हिस्सों में, जिन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है।